

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/

प्रार्थी

बनाम

276

अप्रार्थीगण

दिनांक - 20.1.20

1 हुकमसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी कुडला तहसील व जिला बाड़मेर।

1 देवाराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी कुडला 2 पोकरराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट 3 गोरधनसिंह पुत्र रिडमलसिंह जाति राजपूत 4 भैराराम पुत्र सुरताराम 5 रामदेव उर्फ रामाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी शिवकर 6 तुलछाराम पुत्र वीरमाराम 7 बाहादूरसिंह पुत्र राजसिंह 8 हेबसिंह पुत्र राजसिंह जाति राजपूत निवासी कुडला 9 रावताराम पुत्र खेराजाराम जाति जाट 10 तख्तसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत 11 दिनेश कुमार पुत्र गोरधनसिंह जाति जाट 12 देवीसिंह पुत्र हिन्दूसिंह जाति राजपूत 13 रूगनाथराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी कुडला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 159/2019

दिनांक- 30.01.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कुडला पटवार क्षेत्र कुडला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 754/414 रकबा 42.18 बीघा, खसरा संख्या 756/419 रकबा 07.05 बीघा, खसरा संख्या 659/374 रकबा 03.11 बीघा, खसरा संख्या 761/489 रकबा 11.09 बीघा व खसरा संख्या 763/489 रकबा 20.15 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/ 277-80

दिनांक- 30.1.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुडला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हुकमसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी कुडला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी देवाराम पुत्र सताराम वगैरह जाति जाट निवासी कुडला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

